

प्रेषक,

डा. राजेन्द्र पैसिया,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

संख्या-2131 /नौ-8-2023

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय, उ०प्र०,
लखनऊ।

नगर विकास विभाग-8

लखनऊ: दिनांक 12 दिसम्बर, 2023

विषय:- पं० दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजनान्तर्गत नगर पंचायतों को स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि बढ़ाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त के संबंध में 06 जिलाधिकारी द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त पं० दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजनान्तर्गत 06 नगर पंचायतों (1) नगर पंचायत नगराम, जनपद-लखनऊ (2) नगर पंचायत पतला, जनपद-गाजियाबाद (3) नगर पंचायत गोपामऊ, जनपद-हरदोई (4) नगर पंचायत टुण्डला, जनपद-फिरोजाबाद (5) नगर पंचायत तालग्राम, जनपद-कन्नौज (6) नगर पंचायत खुटार, जनपद-शाहजहाँपुर को विभिन्न वित्तीय वर्षों में प्राप्त धनराशि की उपयोगिता अवधि निम्नानुसार उनके नाम के सम्मुख कालम-05 में अंकित तिथि तक इस शर्त के साथ बढ़ायी जाती है कि उक्त धनराशि पर अर्जित ब्याज को संबंधित निकाय द्वारा राजकोष में जमा करा दिया जायेगा तथा संबंधित निकाय द्वारा प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2024 तक उनके नाम के सम्मुख अंकित शासनादेश द्वारा स्वीकृत किये गये कार्यों को पूर्ण कराकर धनराशि नियमानुसार व्यय/उपभोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र पर महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज/शासन/निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र०, लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत कार्यों में किसी भी प्रकार की द्विरावृत्ति अनुमन्य नहीं होगी:-

क्र. सं.	निकाय का नाम व जनपद	शासनादेश सं० व दिनांक	अवशेष धनराशि (लाख में)	स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि
1	2	3	4	5
1.	नगर पंचायत नगराम, जनपद-लखनऊ।	581/9-8-2021-07डी.डी.यू.-बजट-2019 दिनांक 30 मार्च, 2022 एवं 1997/2022/9-08-/003-16डी.डी.यू. (बजट)/2019, दिनांक 27 सितम्बर, 2022 (प्रथम एवं द्वितीय किश्त)	270	31.03.2024
2.	नगर पंचायत पतला, जनपद-गाजियाबाद।	730/नौ-8-2019-13 डी.डी.यू. (बजट/2019, दिनांक 06 मार्च, 2019 एवं 496/2023/9-8-2023/009-16डी.डी.यू.-बजट-19, 28 मार्च 2023(प्रथम एवं द्वितीय किश्त)	100	31.03.2024
3.	नगर पंचायत गोपामऊ, जनपद-हरदोई।	2234/2022/9-8-22/006-16 डीडीयू (बजट) /2019, दिनांक 2 दिसम्बर, 2022 (द्वितीय किश्त)	270	31.03.2024

446382/2023

4.	नगर पंचायत टुण्डला, जनपद- फिरोजाबाद।	2061/2023/2022/001-11डी.डी.यू.-बजट-21, दिनांक 23 फरवरी, 2023	200	31.03.2024
5	नगर पंचायत तालग्राम, जनपद-कन्नौज	2061/2023/2022/001-11डी.डी.यू.-बजट-21, दिनांक 23 फरवरी, 2023	150	31.03.2024
6	नगर पंचायत खुटार, जनपद- शाहजहाँपुर	1687/नौ-8-21-16डी.डी.यू.बजट/2019, दिनांक 26 अगस्त, 2021 (द्वितीय किस्त)	137.31	31.03.2024

2. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ.प्र., लखनऊ द्वारा प्रकरण का प्रभावी अनुश्रवण किया जायेगा, जिससे उपयोगिता अवधि पुनः बढ़ाये जाने की आवश्यकता न पड़े।

3- यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा. राजेन्द्र पैसिया)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ.प्र., प्रयागराज।
- 2- संबंधित मण्डलायुक्त।
- 3- संबंधित जिलाधिकारी।
- 4- संबंधित अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत।
- 5- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-9।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally Signed by

डॉ. राजेन्द्र पैसिया

Date: 13/03/2023 10:30

Reason: विशेष सचिव।